प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आदेश सुरक्षित करने का दिनाँक - 07.01.2025
आदेश पारित करने का दिनाँक-21.03.2025

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक - 841/2018

छेदीलाल जायसवाल, आत्मज देवी प्रसाद जायसवाल, आयु लगभग 54 वर्ष व्यवसाय- सेवा, वर्तमान में सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग कोरिया के पद पर पदस्थ, निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, स्थायी पता ए-25 सोनगंगा कॉलोनी, सीपत रोड जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---आवेदक

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरदाता

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदक की ओर से- श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री काजल चंद्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/राज्य की ओर से- श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल
सी.ए.वी आदेश

1. यह दांडिक पुनरीक्षण विद्वान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बलरामपुर, रामानुजगंज द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक -1/2017 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोप विरचित किया है।

2. मामले का तथ्य यह हैं कि आवेदक अपराध क्रमांक-114/1998 जो धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, तथा धारा 120-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध विभाग (जिसे आगे "एसीबी/ईओडब्ल्यू" कहा जाएगा) बिलासपुर इकाई, में दर्ज किया गया है, का अभियुक्त है। विवेचना के पश्चात, विद्वान विचारण

न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जहां विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/2017 विचाराधीन है।

3. वर्तमान आवेदक पर आरोप है कि दिनांक 27-07-1996 को आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाड्रफनगर, जिला सरगुजा के पद पर पदस्थ था। वर्ष 1998 में राज्य द्वारा जनपद पंचायत वाड्रफनगर में शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के लिए एक भर्ती प्रक्रिया प्रकाशित की गई थी, जिसे 'छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं शर्ते) नियम, 1998 (संक्षेप में 'नियम, 1998') कहा गया था। आरोप है कि शिक्षाकर्मी ग्रेड-III की उक्त भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा अपने चहेते उम्मीदवारों जिनका मेरिट सूची में स्थान नहीं था, को बिना किसी योग्यता के लाभ देकर नियुक्त करने में अनियमितताएं कारित किया गया था और उन्हें अविधिक रूप से बाहरी लाभ के लिए चयनित किया गया है। अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों का भी चयन किया है, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 (सी) का उल्लंघन है। अपात्र अभ्यर्थियों को उनके अनुभव के आधार पर अधिक अंक देकर चयन किया गया है, साक्षात्कार में आवंटित अंकों में हेर-फेर किया गया है तथा वे स्वयं उस साक्षात्कार समिति में थे, जिसमें उनके रिश्तेदार अभ्यर्थी थे तथा चयन नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है, इस प्रकार अभियुक्तगण ने अपराध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. कलेक्टर, सरगुजा ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित किया , जिसमें उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर, जिला सरगुजा, प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा शामिल हैं। उन्होंने आरोप की जांच की, शिकायत सही पाया गया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि शिक्षाकर्मी ग्रेड-III की चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं और अवैधताएं हैं। इसके बाद, उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी/ईओडब्ल्यू बिलासपुर ने एसीबी/ईओडब्ल्यू, बिलासपुर में अपराध क्रमांक 114/1998 का अपराध दर्ज किया और मामले की जांच प्रारंभ किया। जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान आवेदक, जो तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाड्रफनगर थे, अन्य नौ अभियुक्तगणों के साथ, जो चयन समिति के सदस्य थे, ने निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था; साक्षात्कार के अंक केवल एक व्यक्ति द्वारा दिए गए थे, अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में, 3 पदों के लिए कुल 10 उम्मीदवारों को चयनित किया गया था, लेकिन बाबूलाल का नाम ग्यारहवें नंबर पर जोड़ा गया था; अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) वर्ग की सूची में विमला वर्मा, माला पटेल, कुमुद और कु. अर्चना के स्थान पर चार अन्य अभ्यर्थियों सावित्री, अंजलि, संगीता और सविता के नाम प्रतिस्थापित किये गये थे। अभ्यर्थी राजकुमार कुशवाहा के पास केवल एक वर्ष का अनुभव था और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष) श्रेणी में 9 अंकों के स्थान पर 17 अंक आवंटित किये गये थे। कु. अंजू तिवारी, कु. शशि किरण, लता जायसवाल, शांति जायसवाल, अनिल कुमार वर्मा, कु. शशिबाला, आत्मज एल.पी वर्मा चयन समिति के सदस्यों सिद्धनाथ तिवारी, एन के भगत, छेद्दीलाल जायसवाल (वर्तमान आवेदक) और सीताराम कुशवाहा के रिश्तेदार थे। और उन्हें साक्षात्कार में अधिक अंक दिया गया था। विवेचना के बाद अभियोजन की अनुमति प्राप्त किया गया और विवेचना पूर्ण होने के बाद, कुल 10 आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी), और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध के लिए दिनांक 27-06-2018 के आदेश के तहत आरोप विरचित किया, जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण में चुनौती दिया गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को केवल अनुमानों के आधार पर अपराध में झूठा फंसाया गया है। सम्पूर्ण आरोप-पत्र में उनके विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है, जिससे कथित आरोप को प्रमाणित किया जा सके। आवेदक तत्कालीन सीईओ होने के कारण उन्होंने आदेश पारित कर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तत्पश्चात उनका वाड्रफनगर से स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि लता जायसवाल को नियुक्ति दी गई है, जो उनकी रिश्तेदार है, उनके साक्षात्कार में आवेदक साक्षात्कार बोर्ड का सदस्य नहीं था। आवेदक एससी/एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार बोर्ड का सदस्य था, जिसमें किसी भी अनियमितता या अवैधता का आरोप नहीं है। अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश को किसी भी फोरम द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। आवेदक का स्थानांतरण दिनांक 27-07-1996 को सीईओ जनपद पंचायत वाड्रफनगर के पद पर में हुआ था। दिनांक 18-05-1998 को विभिन्न विषयों में शिक्षाकर्मी ग्रेड-**III** के कुल 99 पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था । दिनांक 06-06-1998 को जनपद पंचायत वाड्रफनगर द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा चयन समिति का गठन किया गया। आवेदक भी उक्त समिति का सदस्य थे। दिनांक 09-06-1998 को पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया गया। दिनांक 23-06-1998 से 24-06-1998 तक साक्षात्कार आयोजित किये गये तथा दिनांक 24-06-1998 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया। आवेदक ने दिनांक 24-06-1998 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिया था। दिनांक 25-06-1998 को अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया तथा आवेदक उक्त साक्षात्कार बोर्ड का हिस्सा नहीं थे । दिनांक 29-06-1998 को अनारक्षित महिला वर्ग के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। दिनांक 25-07-1998 को पात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची तैयार कर प्रकाशित किया गया। आवेदक ने जनपद पंचायत के सीईओ होने के नाते दिनांक 25-07-1998 से 31-07-1998 तक अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची के संबंध में दावा और आपत्तियां आमंत्रित किया।

7. उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 31-07-1998 को जिला पंचायत, सरगुजा ने चयन समिति को अंतिम चयन सूची जारी न करने का निर्देश दिया था। दिनांक 31-07-1998 को आवेदक ने चयन प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोकने का आदेश पारित किया। दिनांक 03-08-1998 को आवेदक का स्थानांतरण सीईओ जनपद पंचायत, लखनपुर के पद पर कर दिया गया। दिनांक 03-08-1998 को ही विशेष समिति द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने शिकायतों के बारे में जांच किया। दिनांक 10-09-1998 को विशेष समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार जिन्हें कथित तौर पर चयन समिति के सदस्यों के रिश्तेदार बताया गया था, फिर से आयोजित करने का आदेश पारित किया। इसके बाद दिनांक 20-09-1998 को सीईओ, वाड्रफनगर ने अंतिम चयन सूची प्रकाशित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 69 में रिश्तेदार की परिभाषा दी गई है, जिसमें अभ्यर्थी लता जायसवाल आवेदक की रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आती है। इसके अलावा, आवेदक उस चयन समिति का सदस्य नहीं था जिसमें वह अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हुई थी। बल्कि, आवेदक ने चयन सूची के अंतिम रूप से पहले आपत्ति भी की थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आवेदक ने साक्षात्कार आयोजित किया है और अपने पद का लाभ उठाया है। आवेदक द्वारा अंतिम चयन सूची को मंजूरी प्रदान नही किया गया, और उससे पहले ही उसका स्थानांतरण दूसरे स्थान पर कर दिया गया।

9. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यदि आरोप-पत्र में उपलब्ध सामग्री को यथावत लिया जाए, तो भी कोई सारभूत आरोप नहीं पाया गया है और न ही विरचित किया गया है। जिस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर आवेदक से लाभ उठाया है, वह अभी भी काम कर रहा है और उसके चयन को बरकरार रखा गया है। आवेदक के मामले में छ.ग पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 लागू नहीं होता है। वह शासकीय कर्मचारी है, पंचायत का पदाधिकारी नहीं है। उचित आरोप के अभाव में आवेदक अपना बचाव नहीं कर सका। आरोप-पत्र में धारा 13 (1) (ए) से (ई) के कोई घटक नहीं हैं, इसलिए, विचारण न्यायालय ने पीसी एक्ट की धारा 13 (1) के अपराध के लिए कोई आरोप विरचित नहीं किया है। आवेदक ने किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया है, इसलिए, आरोप की अंतर्वस्तु स्पष्ट नहीं है। वे साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य नहीं थे और जब अंतिम चयन सूची प्रकाशित हुई तब वह वहां नहीं थे और उनका स्थानांतरण हो चुका था। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के घटक भी पूरे आरोप पत्र में मौजूद नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने "विनुभाई रणछोड़भाई पटेल बनाम राजीवभाई दुदाभाई पटेल" 2018 (7) एस.सी.सी 743, "संतोष कुमारी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य" 2011 (9) एस.सी.सी 234, "सुशील सेठी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य" 2020 (3) एस.सी.सी 240, "पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट" 1998 (5) एस.सी.सी 749, "डी. देवराज बनाम ओवासी सबीर हुसैन" 2020 (7) एस.सी.सी 695, "हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल" 1992 सप (1) एस.सी.सी 335, "मैरियम फैसुद्दीन बनाम थाना अदुगोडी द्वारा राज्य" 2023 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 58 निर्णयों, और इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा सीआर.एम.पी. क्रमांक 1488/2023,**"**गुरजिंदर पाल सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**"** में पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 पर भरोसा जताया है।

11. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाड्रफ नगर होने के नाते वे शिक्षाकर्मी ग्रेड-**III** की चयन समिति के पदेन अध्यक्ष थे। यह एकमात्र आरोप नहीं है कि उन्होंने अपनी रिश्तेदार लता जायसवाल को नियुक्त किया था, अन्य आरोप यह भी है कि उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लिया था और दस्तावेजों में हेरफेर किया था। संतोष कुमार एवं लाल बहादुर के कथन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगणों ने उनसे रिश्वत की मांग की थी, तथा जब वे रिश्वत की राशि नहीं दे सके, तो उनका चयन नहीं हुआ। पहलुराम कुशवाह के कथन से ज्ञात होता है कि वर्तमान आवेदक सी.एल. जायसवाल साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य थे, तथा सभी प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए थे। उन्होंने सह-अभियुक्त सीताराम कुशवाहा के निर्देश पर अंक आवंटित किए, जिन्होंने उनसे रिश्वत की मांग किया था, तथा जब उन्होंने रिश्वत की राशि नहीं दिया, तब साक्षात्कार में उन्हें बहुत कम अंक

दिये गये। राममिलन प्रसाद का कथन है कि उन्होंने वर्तमान आवेदक को रिश्वत दिया था, तथा जब उनका चयन नहीं हुआ, तब उन्होंने पूरी राशि उन्हें वापस कर दिया। जयशंकर प्रसाद उपाध्याय एवं दुखेश्वर प्रसाद का कथन है, जिन्होंने शिक्षाकर्मी ग्रेड-**III** के चयन की दूषित प्रक्रिया के बारे में भी कहा। कंसराज सिंह, जो जनपद पंचायत, वाड्रफनगर के सदस्य तथा चयन समिति के सदस्य भी थे, के कथन से यह पता चलता है कि वर्तमान आवेदक ने अभ्यर्थियों को कोरे कागज पर अंक दिए तथा उस पर साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त किए तथा बाद में लिपिक द्वारा सारणी में भर दिया गया। उन्होंने चयन प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि उन्होंने कलेक्टर से शिकायत किया है। इसी आशय का कथन हरीस अब्दुल्ला तथा राजीव प्रसाद गुप्ता ने भी किया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत आपराधिक कदाचार के लिए आरोप विरचित किया है तथा आरोप-पत्र में पर्याप्त सामग्री है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि वर्तमान आवेदक उक्त अपराध का दोषी है। इसके अलावा, सुनियोजित षड्यंत्र या सामान्य आशय का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन आरोपी के आचरण से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के पूरे प्रकरण और वर्तमान आवेदक की स्थिति, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप और गवाहों के बयान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि वर्तमान आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तगणों के साथ साजिश रची और अपराध किया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत आरोप को संशोधित करने या निर्णय पारित करने से पहले एक नया आरोप विरचित करने का पर्याप्त अधिकार है। उन्होंने "के. रवि बनाम तमिलनाडु राज्य", 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 2283 के फैसले पर भरोसा जताया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि आरोप विरचित करते समय विचारण न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल इस बात पर विचार करना है कि विचारण को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है या नहीं, भले ही इसका परिणाम दोषमुक्ति हो या दोषसिद्धि। उन्होंने **"**राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम शिव चरण बंसल और अन्य**"**, 2020 (2) एस.सी.सी 290, और **"**गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोरसिंह राव**"**, 2023 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 1294 के फैसले पर भरोसा जताया है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

14. आरोप विरचित करने के चरण में न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने और संक्षिप्त विचारण करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय केवल इस बात पर विचार करेगा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है या नहीं, ताकि विचारण आगे बढ़ाया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक 2019 (13) एस.सी.सी 62** के मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित करने के चरण में न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों पर विचार करना है कि क्या यह उपधारित करने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यह भी अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री

और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि उनसे प्रकट वाले तथ्यों को यथावत लिया जाए तो कथित अपराध के सभी तत्वों का अस्तित्व दर्शित होता है और आरोप विरचित करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचन करने और आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। दीपक (पूर्वोक्त) के मामले में, अपने निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

> 16. यह भी उल्लेख किया गया कि आरोप विरचित करने के चरण में न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों पर विचार करना होता है कि क्या यह उपधारित करने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है: (चित्रेश कुमार चोपड़ा मामला [चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2009) 16 एस.सी.सी 605:(2010) 3 एस.सी.सी (क्रि) 367], एस.सी.सी पृष्ठ 613, पैरा 25)
>
> " 25. यह सामान्य बात है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे प्रकट होने वाले तथ्य, को यथावत लिया गया है, कथित अपराध या अपराधों को बनाने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इसके लिए सीमित समय दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय साक्ष्यों की जांच कर सकता है क्योंकि प्रारंभिक चरण में भी अभियोजन पक्ष द्वारा कही गई सभी बातों को सत्य मानने की अपेक्षा नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना है कि क्या यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, न कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से कि इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **मंजीत सिंह विरदी बनाम हुसैन मोहम्मद शतफ 2023 (7) एस.सी.सी 633** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 12 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

> 12. इस मुद्दे पर विधि को इस न्यायालय द्वारा वर्तमान में दिये गये निर्णयों राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप [राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप, (2021) 11 एस.सी.सी 191: (2022) 1 एस.सी.सी (क्रि) 286] में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत पैरा नीचे उद्धृत किए गए हैं: (एस.सी.सी पृष्ठ 197-98, पैरा 11)
>
> > "11. ... 11.1. पी. विजयन बनाम केरल राज्य [पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एस.सी.सी 398: (2010) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 1488] में, इस न्यायालय के पास धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने का अवसर था। आरोप विरचित और/या उन्मोचित करते समय किन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है, इस पर उक्त

निर्णय में विस्तार से विचार किया गया है। यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह देखा गया है कि दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को भी इसमें शामिल किया गया है, जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं, जिससे उसके विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सके। यह भी कहा गया है कि यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अंतर्गत आरोप विरचित करेंगे, यदि नहीं, तो वे अभियुक्त को दोषमुक्त कर देंगे। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक विचार का प्रयोग करते समय न्यायालय के लिए मामले के गुण-दोष में जाना या साक्ष्यों और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में विचारण शुरू करने के बाद न्यायालय का कार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.2. कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमथ [कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमथ, (2019) 7 एस.सी.सी 515: (2019) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 109: (2019) 2 एस.सी.सी (एल.एंड.एस) 380] में इस न्यायालय द्वारा दिये गये वर्तमान के निर्णय में, पीठ की ओर से बोलते हुए हममें से एक (डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने पैरा 25 में निम्नलिखित अवलोकन किया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 526)

> "25. उच्च न्यायालय [हिरेमथ बनाम कर्नाटक राज्य, 2017 एस.सी.सी ऑनलाइन कर 4970] को इस तथ्य का संज्ञान होना चाहिए था कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के प्रावधानों के तहत उन्मोचन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर रहा था। इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों को इस न्यायालय के कई निर्णयों में अभिव्यक्ति मिली है। विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया सामग्री सही है और सामग्री का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या सामग्री से प्रकट वाले तथ्य, यथावत लिये जाने पर, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। तमिलनाडु राज्य बनाम एन सुरेश राजन [तमिलनाडु राज्य] बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस.सी.सी 709 : (2014) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 529 : (2014) 2 एस.सी.सी (एल एंड एस) 721],

इस विषय पर पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि (एन. सुरेश राजन मामला [तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस.सी.सी 709 : (2014) 3 एस.सी.सी (क्रि) 529 : (2014) 2 एस.सी.सी (एल एंड एस) 721], एस.सी.सी पृष्ठ 721-22, पैरा 29)

"29. ... इस स्तर पर, सामग्री के प्रामाणिक मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से इस मामले में गहराई से जाने और यह मानने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि सामग्री से दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता। हमारी राय में, क्या विचार करने की आवश्यकता है यह है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपराध किया है, तो वह आरोप विरचित कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। विधि इस स्तर पर संक्षिप्त विचारण की अनुमति नहीं देता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसके अलावा, राज्य द्वारा एस.पी एस.पी.ई सीबीआई बनाम उत्तमचंद बोहरा, 2022 (16) एस.सी.सी 663, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 21 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

21. सीबीआई बनाम के.नारायण राव [सीबीआई बनाम के. नारायण राव, (2012) 9 एस.सी.सी 512: (2012) 4 एस.सी.सी (सिविल) 737: (2012) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 1183] में इस न्यायालय ने आपराधिक मामले में अभियुक्तों को उन्मोचित करने से संबंधित लागू मापदंड के प्रश्न से निपटने वाले पिछले निर्णयों की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 520-23, पैरा 12-14)

"12. रमेश सिंह [बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, (1977) 4 एस.सी.सी 39: 1977 एस.सी.सी (क्रि.) 533] में पहला निर्णय अभियुक्त को दोषमुक्त करने या मुकदमा चलाने के बारे में विचार करने के लिए संहिता की धारा 227 और 228 की व्याख्या से संबंधित है। उक्त निर्णय का पैरा 4 सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत है जो इस प्रकार है: (एस.सी.सी पृष्ठ 41-42)

'4. संहिता की धारा 226 के तहत अभियोजन पक्ष के लिए मामला प्रारंभ करते समय अभियोजन को अभियुक्त के खिलाफ आरोप का वर्णन करना होता है और यह बताना होता है कि वह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए किन साक्ष्यों का प्रस्ताव करता है। इसके बाद प्रारंभिक चरण में न्यायालय का कर्तव्य मामले के अभिलेख

और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करना और उस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनना होता है। इसके बाद न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश पारित करना होगा। यदि न्यायाधीश का मानना है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा और ऐसा करने के उसके कारणों को दर्ज करेगा, जैसा कि धारा 227 में कहा गया है। दूसरी ओर, यदि न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो-...(ख) न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है,तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा, जैसा कि धारा 228 में प्रावधान है। दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, जैसा कि होना चाहिए, यह स्पष्ट है कि मुकदमे की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक अवलोकन नहीं किया जाना चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव को कोई महत्व दिया जाना चाहिए। मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह इस बात पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील तराजू पर तौलें कि यदि तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो वे अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत है या नहीं। परीक्षण और निर्णय का वह मानक जिसे अभियुक्त के दोषी होने या न होने के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अंतिम रूप से लागू किया जाना है, उसे संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले का फैसला करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस चरण में न्यायालय को यह नहीं देखना चाहिए कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं या क्या मुकदमे का अंत उसके दोषी ठहराए जाने के साथ होना निश्चित है। यदि मामला संदेहास्पद है तो अभियुक्त के खिलाफ गहरा संदेह मुकदमे के समापन पर उसके दोषी होने के सबूत का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई प्रबल संदेह है जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के अपराध का अनुमान जो प्रारंभिक चरण में लगाया जाना है, वह फ्रांस में आपराधिक मामलों के परीक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है, जहाँ अभियुक्त को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को विचारण में आगे बढ़ाना चाहिये या नहीं। यदि अभियोक्ता द्वारा अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य, भले ही उसे प्रतिपरीक्षण में चुनौती दिए जाने या बचाव पक्ष द्वारा खंडन किए जाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से पहले पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया हो, यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा। परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची यह इंगित करने के लिए कि कौन सी बात किसी निष्कर्ष पर ले जाएगी, न तो संभव है और न ही उचित है। हम कानून के अंतर को एक और उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के बारे में तराजू मुकदमे के समापन पर कुछ हद तक समान हैं, तो संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामला उसके दोषमुक्त होने पर समाप्त होगा। लेकिन अगर, दूसरी ओर, धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर जो आदेश देना होगा वह धारा 228 के तहत होगा न कि धारा 227 के तहत।'

13. संहिता की धारा 227 के तहत अभियुक्तों के उन्मोचित किये जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पी. विजयन [पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एस.सी.सी 398: (2010) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 1488] में व्यापक रूप से विचार किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एस.सी.सी पृष्ठ क्रमांक 401-402, पैरा 10-11)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'10. ... यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो विचारण करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त को बरी करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर उसे यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि या दोषमुक्त में समाप्त होगा या नहीं। इसके अलावा, "अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के कहने पर आरोप विरचित करने हेतु मात्र डाकघर नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए उसे मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करना होगा। इस तथ्य का आकलन करते समय, न्यायालय के लिए मामले के गुण दोष का आंकलन करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय का कार्य है।

11. धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल साक्ष्यों की जांच करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को ध्यान में रखेगी जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप विरचित किया जा सके।

14. सज्जन कुमार [सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, (2010) 9 एस.सी.सी 368: (2010) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 1371] में पुनः उन्हीं प्रावधानों अर्थात आरोप विरचित करने और अभियुक्तों को दोषमुक्त करने पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया: (एस.सी.सी पृ. 375-77, पैरा 19-21)

> 19. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक चरण में, यदि कोई प्रबल संदेह है जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय के लिए यह कहना उचित नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के दोष की जो धारणा प्रारंभिक चरण में बनाई जानी है, वह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को विचारण करना चाहिए या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं, भले ही उसे प्रति -परीक्षण में चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो या बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य, यदि कोई हो, द्वारा खंडन किया गया हो, यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमा चलाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा।
>
> 20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत किसी मामले की जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि उसके समक्ष मामला सत्र न्यायालय में उपार्पित करने लिए उपयुक्त है या नहीं। वह अभिलेख पर सामग्री की जांच और मूल्यांकन करने का हकदार है, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि क्या उपार्पित करने हेतु के लिए पर्याप्त सबूत हैं, न कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यदि कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है या सबूत पूरी तरह से विश्वास के योग्य नहीं है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करे, दूसरी ओर, यदि कोई सबूत है जिस पर दोषसिद्धि उचित रूप से आधारित हो सकती है, तो उसे मामले को उपार्पित करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, मजिस्ट्रेट को मामले के गुण- दोष के संबंध में फालतू जाँच नहीं करनी चाहिए और सबूतों का मूल्यांकन इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे कि वह कोई विचारण कर रहा हो।
>
> दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के तहत अधिकारिता का प्रयोग-

21. धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारिता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप विरचित करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास सबूतों को छांटने और तौलने का निस्संदेह अधिकार है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां न्यायालय के सामने रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगी।

(iii) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों के समग्र प्रभाव और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, किसी भी बुनियादी कमियों आदि पर विचार करना होगा। हालांकि, इस स्तर पर मामले के गुण दोष के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की जा सकती है और साक्ष्यों का मूल्यांकन इस तरह नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) यदि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो सकता है, तो वह आरोप विरचित कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए यह निष्कर्ष उचित संदेह से परे साबित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(v) आरोप विरचित करते समय, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के प्रामाणिक मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोप विरचित करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर अपना न्यायिक मस्तिष्क लगाना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके यथावत, कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्यों की छानबीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।

(vii) यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो विचारण करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अधिकार होगा और इस चरण में, उसे यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होने के साथ समाप्त होगा।'

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुजरात राज्य बनाम दिलीपसिंह किशोरसिंह राव, 2023 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 1294** के मामले में अपने फैसले में आगे कहा है कि:-

> 10. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए उक्त सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य यथावत कथित अपराध के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।
>
> 11. इस न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन [टी.एन. राज्य बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस.सी.सी 709: (2014) 3 एस.सी.सी (क्रि) 529: (2014) 2 एस.सी.सी (एल एंड एस) 721] ने इस विषय पर पहले निर्धारित विधि के प्रतिपादनाओं पर ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 721-22, पैरा 29)
>
> > "29. हमने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत तर्कों की हम सराहना करते है। यह सच है कि उन्मोचन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों की छानबीन कर सकता है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि उन्मोचन का आदेश पारित किया जा सके। यह सामान्य बात है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह पता लगाने के लिए कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य यथावत कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होता है। इस चरण में, सामग्री के प्रामाणिक मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से मामले की गहराई में जाने और यह मानने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी। हमारी राय में, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या कोई आधार है यह मानते हुए कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपराध किया है, तो वह आरोप विरचित कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर संक्षिप्त विचारण की अनुमति नहीं देता है।"

12. अभियुक्त के बचाव पर उस समय विचार नहीं किया जाना चाहिए जब अभियुक्त आरोप मुक्त होना चाहता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 में प्रयुक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिव्यक्ति "मामले का अभिलेख" को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और लेखों के रूप में समझा जाना चाहिए। संहिता अभियुक्त को आरोप विरचित करने के चरण में कोई भी दस्तावेज पेश करने का अधिकार नहीं देती है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए।

13. आरोप विरचित करने के चरण में प्राथमिक विचार प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण है, और इस चरण में, अभिलेख पर सामग्री के प्रामाणिक मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा [महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, (1996) 4 एस.सी.सी 659: 1996 एस.सी.सी (क्रि.) 820] और मध्यप्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी [एम.पी राज्य बनाम मोहनलाल सोनी, (2000) 6 एस.सी.सी 338: 2000 एस.सी.सी (क्रि.) 1110] में अपने पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए माना है कि आरोप विरचित करने के चरण में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण करना है। यह भी माना जाता है कि आरोप विरचित करने के चरण में, न्यायालय को कथित अपराध के तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानात्मक राय बनानी होती है और यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद सामग्री के प्रामाणिक मूल्य की गहराई में जाए और यह जाँच करे कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री निश्चित रूप से मुकदमे के समापन पर दोषसिद्धि की ओर ले जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम शिव चरण बंसल एवं अन्य, 2020 (2) एस.सी.सी 290** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आरोप विरचित करने के चरण में विचारण न्यायालय को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच या उसमें व्यापक जांच करने की आवश्यकता नहीं है और उसके पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य को छानने और तौलने का अधिकार है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, ताकि विचारण आगे बढ़ाया जा सके।

19. उपरोक्त सिद्धांतों के मद्देनजर, याचिका के साथ प्रस्तुत आरोप-पत्र में उपलब्ध सामग्री की जांच करने पर, प्रथम दृष्टया यह पर्याप्त सामग्री देता है कि वर्तमान आवेदक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाड्रफनगर होने के नाते, चयन प्रक्रिया में शामिल है, जिसकी जांच कलेक्टर द्वारा गठित चार सदस्यों की एक टीम ने की थी, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को पाया और इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया । गवाहों संतोष कुमार, लाल बहादुर, पहलुराम कुशवाह, राममिलन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद उपाध्याय, दुखेश्वर प्रसाद और कंसराज सिंह के बयानों से, आरोप विरचित करने और मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री है, जो समिति की जांच रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि जब वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाड्रफ नगर के पद पर पदस्थ था, तब उसने आपराधिक कदाचार का अपराध किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक कदाचार,

आरोप-पत्र में उपलब्ध सामग्री और उपरोक्त गवाहों के बयान से वर्तमान आवेदक और अन्य सह-आरोपियों के कृत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विभिन्न दस्तावेज और रजिस्टर जब्त किए गए हैं और व्यक्तियों की लिखावट की भी जांच की गई है।

20. आरोप पत्र के अवलोकन से यह न्यायालय पाता है कि आरोप पत्र में षडयंत्र एवं आपराधिक कदाचार के अपराध का पर्याप्त वर्णन है तथा वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि चयन समिति का सदस्य होने के नाते उसने अयोग्य अभ्यर्थी का चयन किया तथा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली का उल्लंघन करते हुए अपराध किया है। आवेदक के विरुद्ध आरोप के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आरोप तैयार किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने विचारण को आगे बढ़ाया है। यद्यपि आवेदक को 03-08-1998 को वाड्रफनगर से लखनपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, चयन प्रक्रिया में उसकी भूमिका और उसके स्थानांतरण से पहले उसकी स्थिति और उसके खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से उसे मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं।

21. के. रवि (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 11 और 12 में अभिनिर्धारित किया है कि:

> "11. यह कहना गलत है कि धारा 216 एक सामर्थ्यकारी प्रावधान है जो न्यायालय को निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप को बदलने या जोड़ने में सक्षम बनाता है और यदि आरोप में कोई परिवर्तन या वृद्धि की जाती है, तो न्यायालय को उसमें निहित प्रक्रिया का पालन करना होगा। धारा 216 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने के बाद उन्मोचन हेतु नया आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं देती है, खासकर तब जब धारा 216 के तहत आरोप मुक्त करने के लिए उसका आवेदन 227 को पहले ही खारिज कर दिया गया है। दुर्भाग्य से, इस तरह के आवेदन कभी-कभी कानून की अज्ञानता में और कभी-कभी जानबूझकर कार्यवाही में देरी करने के लिए विचारण न्यायालय में दायर किए जा रहे हैं। एक बार जब इस तरह के आवेदन,जो चलने योग्य नहीं है, दायर किए जाते हैं, तो विचारण न्यायालय के पास उन्हें विरचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, और फिर ऐसे आदेशों को उच्च अधिकारिता वाले न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जाएगी, और पूरा आपराधिक मुकदमा भटक जाएगा। यह कहना पर्याप्त है कि इस तरह की प्रथा अत्यधिक निंदनीय है, और यदि अपनाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
>
> 12. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उत्तरदाता क्रमांक 2 मुकदमे के पहले दौर में स्वयं को उन्मोचित कराने में पूर्ण रूप से विफल रहे थे, जब उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आवेदन दायर किया था, फिर भी उसने आपराधिक कार्यवाही को भटकाने के लिये के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत आरोप में संशोधन की मांग करते हुए एक और परेशान करने वाला आवेदन दायर किया। सत्र न्यायालय द्वारा भी उक्त आवेदन को खारिज कर दिए जाने के बाद, दंड प्रक्रिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण आवेदन दायर करके आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया। उच्च न्यायालय ने, बिल्कुल बाहरी विचार और स्थापित कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, उत्तरदाता क्रमांक-2 द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार किया, हालांकि यह विधिक रूप से चलने योग्य नहीं था, और उत्तरदाता क्रमांक-2 के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोप को खारिज कर दिया। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अवैध, अमान्य है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के विपरीत है, यह खारिज किये जाने योग्य है ।

22. यह सुस्थापित विधि स्थिति है कि आरोप विरचित करने के चरण में, विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करनी होती है ताकि प्रथम दृष्टया यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं। जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य या उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अभियुक्त के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियां हैं, आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त होगी, और वे मुकदमा आगे बढ़ाएंगे। यदि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो आवश्यक रूप से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन यदि न्यायालय आरोप-पत्र में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद न्यायालय का मत है तब आरोप विरचित किया जाना चाहिए। यह भी स्थापित है कि आरोप विरचित करते समय, अभियुक्त को कोई भी सामग्री पेश करने और न्यायालय से उसकी जांच करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। आरोप विरचित करने के चरण में अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आरोप विरचित करने के चरण में प्राथमिक विचार प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण है, और इस चरण में अभिलेख पर मौजूद सामग्री के प्रामाणिक मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जहां तक षडयंत्र का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 168 से 180 में माना है कि अपराध को स्थापित करने के लिए एक ही करार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक षडयंत्र कर्ता अपनी अलग भूमिका निभाता है, और वह इसके सभी रहस्यों को नहीं जान सकता है। षडयंत्र को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है।

24. **"कर्नाटक राज्य बनाम जे. जयललिता" 2017 (6) एस.सी.सी 263** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

> 168. षडयंत्र की अवधारणा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने मोहम्मद हुसैन उमर कोचरा बनाम के.एस. दलीपसिंहजी [मोहम्मद हुसैन उमर कोचरा बनाम के.एस. दलीपसिंहजी, (1969)3 एस.सी.सी 429: 1970 एस.सी.सी (क्रि) 99] (एस.सी.सी पृष्ठ 435-36, पैरा 15) ने माना कि षडयंत्र में, सहमति अपराध का सार है और आम योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक सामान्य डिजाइन और सामान्य आशय आवश्यक है। प्रत्येक षडयंत्र कर्ता सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत और एकजुट प्रयास में अपनी अलग

भूमिका निभाता है। यह घोषित किया गया कि षडयंत्र क्रमिक चरणों में विकसित हो सकती है और नई तकनीकों का आविष्कार किया जा सकता है और नए साधन तैयार किए जा सकते हैं, और एक सामान्य षडयंत्र एक समान सामान्य उद्देश्य वाले अलग-अलग साजिशों का योग हो सकती है, जिसके आवश्यक तत्व सहयोग, मिलीभगत, अलग-अलग लोगों में एकजुटता और समन्वय हैं।

(जोर दिया गया)

169. नूर मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ मोमिन [नूर मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ मोमिन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1970) 1 एस.सी.सी 696: 1970 एस.सी.सी (क्रि) 274] (एस.सी.सी पृष्ठ 699-700, पैरा 7), एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना किया, जिसमें एक गाय द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने की एक बहुत ही मामूली घटना पर पड़ोसियों के बीच झड़प हुई। इसके बाद जानलेवा हमले हुए, जिसमें अपीलकर्ता के साथ उसके 4/5 सहयोगी शामिल थे। अपीलकर्ता के साथ अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया। इस न्यायालय ने माना कि भागीदारी सामान्य आशय का प्रतीक है, लेकिन धारा 109 के तहत, उकसाने वाला मौजूद न होने पर भी उकसाने का आरोप लगाया जा सकता है। षडयंत्र के रूप में, यह उल्लिखित किया गया कि यह दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने या करवाने के लिए या अवैध साधनों द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए एक समझौते की परिकल्पना करता है जो अवैध नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि षडयंत्र उकसाने की तुलना में व्यापक आयाम का है, हालांकि दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह निर्णय दिया गया कि षडयंत्र को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है और इसका प्रमाण काफी हद तक अनुमानात्मक है, तथ्यों पर आधारित है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपराधिक षडयंत्र के प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह स्पष्ट किया गया कि एक बार जब यह सुझाव देने के लिए एक उचित आधार दिखाया जाता है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने षडयंत्र किया है, तो उनके सामान्य आशय के संदर्भ में उनमें से किसी एक द्वारा किया गया कोई भी कार्य षडयंत्र और उसके अनुसार किए गए अपराधों को साबित करने में सुसंगत हो जाता है।

(जोर दिया गया)

170. साजू बनाम केरल राज्य [साजू बनाम केरल राज्य, (2001) 1 एस.सी.सी 378:2001 एस.सी.सी (क्रि.) 160] (एस.सी.सी पृष्ठ 383, पैरा 7) में, यह प्रतिपादित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख को आकर्षित करने के लिए, यह साबित करना होगा कि सभी आरोपियों का आशय अपराध करने का था और वे सहमत थे। यह माना गया था कि साजिश निजी और गुप्त रूप से रची जाती है, जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। यह फैसला सुनाया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि षडयंत्र में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शामिल प्रत्येक सदस्य को षडयंत्र के सभी विवरणों की जानकारी होनी चाहिए। (जोर दिया गया)

171. इस न्यायालय ने यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य [यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य, (1977) 4 एस.सी.सी 540: 1978 एस.सी.सी (क्रि.) 5] (एस.सी.सी पृष्ठ 543, पैरा 9) में अपनी टिप्पणियों को याद किया कि षडयंत्र के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपकरण और तकनीक अपनाई जा सकती हैं, और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य के साथ कार्यों की श्रृंखला में प्रदर्शनों का विभाजन हो सकता है, जिसके बारे में हर सहयोगी को पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें उनमें से हर एक की दिलचस्पी होगी। उद्देश्य या उद्देश्य की एकता होनी चाहिए, लेकिन षड्यंत्र कर्ताओं के बीच कई साधन हो सकते हैं, कभी-कभी एक-दूसरे के लिए अज्ञात भी। एकमात्र प्रासंगिक कारक यह है कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए अवैध कार्य षड्यंत्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होने चाहिए। यदि षड्यंत्रकारियों में से एक या दो द्वारा अन्य की जानकारी के बिना कुछ कदम उठाए भी जाते हैं, तो इससे उन अन्य लोगों की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब वे षड्यंत्र के उद्देश्य से जुड़े हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

172. यह नोट किया गया कि विधि की स्थापित स्थिति के अपवाद के रूप में, अभियुक्तों में से किसी एक के कृत्य या कार्रवाई को दूसरे के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में अन्यथा प्रावधान किया गया है। धारा 10 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर अपराध करने करने का षड्यंत्र रचा था और फिर अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा की गई कार्रवाई या बयान के साक्ष्य को दूसरे के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

173. राम नारायण पोपली बनाम सीबीआई [राम नारायण पोपली बनाम सीबीआई, (2003) 3 एस.सी.सी 641: 2003 एस.सी.सी (क्रि.) 869] में, मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकारियों पर ए-5 के पक्ष में अपने फंड को निकालने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था और उन पर अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(सी) और 13(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 420, 409, 467 और 471 के तहत मुकदमा चलाया गया था। इस न्यायालय ने दोहराया (एस.सी.सी पृ. 778-79, पैरा 342 और 343) कि आपराधिक षड्यंत्र का सार, गैरकानूनी संयोजन है और आम तौर पर अपराध तब पूरा हो जाता है जब संयोजन तैयार हो जाता है और षड्यंत्र को अपराध बनाने वाला कानून, साधनों के संयोजन से प्राप्त होने वाली शरारत करने की अत्यधिक शक्ति को रोकने के लिए बनाया गया है। यह माना गया कि आपराधिक षड्यंत्र का अपराध अपराध करने के लिए एक समझौते पर आधारित है। एक षड्यंत्र में केवल दो या अधिक लोगों का आशय नहीं होता है,

बल्कि दो या अधिक लोगों का विधिविरुद्ध तरीकों से विधिविरुद्ध काम करने के लिए करार होता है। करार जो आपराधिक षड्यंत्र का सार है, उसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा साबित किया जा सकता है और यह आम अनुभव की बात है कि षड्यंत्र को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं।

174. हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, चौथे संस्करण, खंड 11, पृ. क्रमांक 44, पैरा 58 पर भरोसा किया गया: (राम नारायण केस [राम नारायण पोपली बनाम सीबीआई, (2003) 3 एस.सी.सी 641: 2003 एस.सी.सी (क्रि.) 869], एस.सी.सी पी. 779, पैरा 344)

> "344. ... '58. षड्यंत्र का अर्थ —... षड्यंत्र उत्पन्न होता है और करार होते ही अपराध हो जाता है; और अपराध तब तक होता रहता है जब तक संयोजन बना रहता है, अर्थात जब तक षड्यंत्रकारी करार अपने प्रदर्शन के पूरा होने या त्यागने या निराश होने या जो भी हो, द्वारा समाप्त नहीं हो जाता। षड्यंत्र में दोषपूर्ण कार्य विधिविरुद्ध आचरण को निष्पादित करने का करार है, न कि उसका निष्पादन। यह पर्याप्त नहीं है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय या एक ही स्थान पर एक ही विधिविरुद्ध उद्देश्य का अनुसरण करते हैं। एक विधिविरुद्ध उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए विचारों का मिलन, आम सहमति दिखाना आवश्यक है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकर्ता एक दूसरे के साथ संवाद में हो।' "

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

175. आर. बनाम मर्फी [आर. बनाम मर्फी, (1837) 8 कार एंड पी 297: 173 ई आर 502] का संदर्भ दिया गया, जहां कोलरिज, जे., का विचार था (ई आर पृष्ठ 508) कि यद्यपि आरोप का मूल समान डिजाइन है, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ये दोनों पक्ष एक साथ आए थे और वास्तव में समान डिजाइन रखने और इसे सामान्य तरीकों से आगे बढ़ाने और इस प्रकार इसे निष्पादन में ले जाने के लिए सहमत हुए थे, जैसा कि स्थापित षड्यंत्र के कई मामलों में होता है, ऐसी किसी भी बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि ये दोनों व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रायः एक ही साधन का उपयोग कर रहे हैं, एक व्यक्ति कार्य का एक भाग कर रहा है और दूसरा उसी कार्य का दूसरा भाग इस प्रकार कर रहा है कि वह उसे पूरा कर सके, ताकि वह उद्देश्य प्राप्त कर सके, तो आप यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं। (जोर दिया गया)

176. इस प्रकार, न्यायिक मत यह है कि किसी षड्यंत्र को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांशतः अपराधी कार्य की

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

177. फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन बनाम केरल राज्य [फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन बनाम केरल राज्य, (2001) 7 एस.सी.सी 596: 2001 एस.सी.सी (क्रि.) 1341] (एस.सी.सी पृष्ठ 607-08, पैरा 26 और 27) में, यह निर्णय दिया गया कि साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में षड्यंत्र के मुकदमे में ढीले मानक लागू होते हैं। सामान्य नियम के विपरीत, षड्यंत्र के अभियोजन में, एक षड्यंत्रकारी द्वारा किसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाने और उसके लंबित रहने के दौरान की गई कोई भी घोषणा प्रत्येक सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध स्वीकार्य है। अनुश्रुत साक्ष्य के अविश्वसनीय होने के बावजूद, यह षड्यंत्र के अभियोजन में स्वीकार्य है। यह देखा गया कि इस प्रकार षड्यंत्रकारी सह-षड्यंत्रकारियों के बयानों के लिए अभिकरण सिद्धांत पर उत्तरदायी हैं, जैसे वे अपने सहयोगियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों और अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं।

(जोर दिया गया)

178. मीर नागवी असकरी बनाम सीबीआई [मीर नागवी असकरी बनाम सीबीआई, (2009) 15 एस.सी.सी 643: (2010) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 718] (एस.सी.सी पृष्ठ 665-66, पैरा 62) में यह घोषित किया गया था कि षड्यंत्र के अपराध के अस्तित्व या अन्यथा पर निर्णय लेने में न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह गुप्त रूप से रची गई है और इसे स्थापित करने के लिए यदि असंभव नहीं है, प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। जिस तरीके और परिस्थितियों में अपराध किए गए हैं और आरोपी व्यक्तियों ने भाग लिया था, वे सुसंगत हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रस्तावकों ने अवैध कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी या ऐसा करने का कारण बने थे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और/या आवश्यक निहितार्थों को पेश करके साबित किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

179. रसेल ऑन क्राइम्स, 12 वें संस्करण, भाग 1 से निम्नलिखित उद्धरण को स्वीकृति के साथ उद्धृत किया गया: (मीर नागवी केस [मीर नागवी असकरी बनाम सीबीआई, (2009) 15 एस.सी.सी 643: (2010) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 718], एस.सी.सी पृष्ठ 666, पैरा 63)

> "63. ... 'षड्यंत्र के अपराध का सार, उस कार्य को करने में या उस उद्देश्य को पूरा करने में नहीं है जिसके लिए षड्यंत्र रची गई है, न ही उन्हें करने का प्रयास करने में, न ही दूसरों को उन्हें करने के लिए उकसाने में, बल्कि पक्षकारों के बीच योजना या करार के निर्माण में निहित है। सहमति आवश्यक है। योजना के बारे में केवल ज्ञान या चर्चा ही पर्याप्त नहीं है।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(जोर दिया गया)

> 180. केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में दिये गये निष्कर्षों का पुनः स्मरणकिया गया [केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1988) 3 एस.सी.सी 609: 1988 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 711], कि आपराधिक षडयंत्र के अपराध को स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि सभी षडयंत्रकारियों द्वारा एक ही समय में एक ही करार किया जाए। प्रत्येक षडयंत्रकारी एक एकीकृत और संयुक्त प्रयास में अपना अलग-अलग भाग निभाता है ताकि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि उसे एक सामान्य षडयंत्र में भूमिका निभानी है, हालांकि वह इसके सभी रहस्यों या साधनों को नहीं जानता हो सकता है जिसके द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा किया जाना है। उपर्युक्त कानूनी मान्यताओं की कसौटी पर, अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों को तार्किक रूप से स्वीकार्य निष्कर्ष निकालने के लिए परखा जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

25. उपर्युक्त विधिक स्थिति और मामले के तथ्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क कि वे अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के समय वहां नहीं थे और दिनांक 03-08-1998 को उनका स्थानांतरण हो गया था, लता जायसवाल आवेदक के रिश्तेदार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, आवेदक अपने रिश्तेदार के साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य नहीं थे और उन्होंने कोई बाहरी प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है और अन्य अभियुक्तों के साथ कोई षडयंत्र नहीं किया है, यह साक्ष्य का विषय है और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद निर्णय लिया जाना है। आरोप विरचित करने और मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए आरोप पत्र में आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय अर्थात विनुभाई रणछोड़ भाई (पूर्वोक्त) आरोप के उचित निर्धारण से संबंधित है, लेकिन वर्तमान मामले में आरोप के तत्व पर्याप्त और स्पष्ट पाए गए हैं, इसलिए यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। सुशील सेठी (पूर्वोक्त) का निर्णय भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उस मामले में शामिल तथ्य और मुद्दे वर्तमान मामले से भिन्न हैं। पेप्सी फूड्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि यदि विचारण न्यायालय आरोप को निराधार मानता है तो आरोपी को विचारण के किसी भी चरण में दोषमुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं है। वर्तमान मामले में आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। डी. देवराज (पूर्वोक्त) के मामले में, अभियोजन की मंजूरी के बिंदु पर निर्णय, हालांकि दोषमुक्त करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया है, लेकिन आवेदक के खिलाफ वर्तमान आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अन्य निर्णय भी भिन्न आधार पर हैं, लेकिन उसी बिन्दु पर यदि मामले की सुनवाई के लिए कोई पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है, ऐसी स्थिति में **ओवासी सबीर हुसैन, भजन लाल, मरियम फैसुद्दीन और गुरजिंदर पाल सिंह (पूर्वोक्त)** के निर्णयों से आवेदक को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

27. इसलिए, इस न्यायालय का यह विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध आरोप उचित रूप से विरचित किया गया है, तथा आरोप विरचित करने और मामले की

सुनवाई के लिए आरोप-पत्र में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोप को खारिज करने का कोई आधार नहीं है, आवेदक के खिलाफ आरोप विरचित करने के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाया गया है, इस प्रकार दांडिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है और एततद्वारा खारिज किया जाता है ।

28. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है ।

29. इस आदेश की एक प्रति सूचना और प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे ।

सही /-

(रविन्द्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**